



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

178
15/9/23

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा संपत्ति के पटटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनको विवरण निम्नसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी / लीजडीधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामचंद्र अग्रवाल	श्री राम किशन यादव पुत्र श्री जय राम यादव	58ए	200.00	विजय गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	ग्रीन एवेन्यू	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रशीद, अनुबंध पत्र
2	श्री चितारंजन सोनी पुत्र श्री रामचरण सोनी	श्री अंशु पत्नी श्री आर.के भट्टनागर	96	183.33	अमृतपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	जीवन विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रशीद, इकरारनामा

AP

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर(दक्षिण-प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा.पृथ्वीराजनगर(दक्षिण-प्रथम)/2023/डी-1912 दिनांक 12/09/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय): ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स-+91-141-2574555

ई-मेल: (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	मुख्य संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुनील गुप्ता	स्वयं	67	266.66	श्यामपुरी ग.नि.स.स.लि.	श्याम नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	भांगीलाल शर्मा	दिनेश कुमार चन्देल	32	392.60	हसनपुरा-ए ग.नि.स.स.लि.	महावीर नगर-ए	लीजडीड	अपंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	हनुमान सिंह चौधरी	मंजू सिहाग एवं लाली देवी	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 & 60	876.46	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	खुशाल चौधरी	सरिता देवी	61, 62, 63, 64	542.63	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	पुर्णिमा खरबास	माधुराम एवं भीरा देवी	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35	846.27	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
6	रश्मि खरबास	माया सिहाग एवं स्वयं	46, 47, 48, 49, 50, 51 & 52	766.88	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
7	श्री शोलेन्द्र सक्सेना	उमा सक्सेना	19	233.33	भैरव. ग.नि.स.स. लि.	कृष्णा विहार-बी	लीजडीड	पंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत उपहार पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
8	अमिता खत्री	कुमारी अनिता	72	272.22	श्यामपुरी ग.नि.स.स.लि.	श्याम नगर	लीजडीड	विवाह प्रमाण पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

जोन्-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन्-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 1927

दिनांक 13.9.2027

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 865

दिनांक:- 11/9/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल जाट	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल जाट	36	166.6	नव भारत	गोविन्द एनक्लेव	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्रीमती शोभा शर्मा पुत्री श्री के.सी. शर्मा	श्रीमती शोभा शर्मा पुत्री श्री के.सी. शर्मा	33	140.87	अमृतपुरी	कैलाश विहार	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

—Sol—

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-
जविप्रा, जयपुर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

915

दिनांक 31/9/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री डाल सिंह एवं श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह (दी महावीर हाउसिंग को. सो. लि0 की योजना-बसन्त विहार-ए)	19ए	324
2	श्री रामलाल बागडा/भैरूराम बागडा (महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना-श्री करणी सरोवर)	78	229
3	श्री मदन मीणा पुत्र श्री रामकुमार मीणा (महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना-श्री करणी सरोवर)	135ए	166.66

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविपि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-द्वितीय
जविप्रा, जयपुर (उत्तर-द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-द्वितीय
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 87 67

दिनांक 13/9/2023

—आम सूचना—

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री विपिन कुमार टंडन पुत्र श्री भोला नाथ टंडन	रेखा टंडन पुत्री श्री भोला नाथ टंडन	258	500.00	जविप्रा	आनन्द लोक द्वितीय	लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा, गवाहों का शपथ पत्र।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयतनामा, गवाहों का शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवाये।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3047

दिनांक:- 15/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवाप्ताधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खाता संख्या 112 (नया) 111 (पुराना) में खसरा नम्बर 895 रकबा 1.54 हैक्टेयर का हिस्सा 4/5 की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 2464 एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 616 वर्गमी0) विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु खातेदार श्रीमती गोपाली देवी, श्याम सुन्दर, रामअवतार हिस्सा 1/5, श्री मोहन लाल, मंगल राम, कानाराम, छीतरमल पिता स्व0 श्री नानगराम हिस्सा 1/5, जगदीश, लालाराम पिता घीसां हिस्सा 2/5 द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
जयपुर

यू0ओ0नोट

विषय :- विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार यदुवेन्द्र कुमार काला पुत्र श्री चन्दा लाल काला द्वारा ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 639 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 903/650 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638/1 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर कित्ता 05 कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क अंतर्गत कृषि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक LU2012/JDA/2023-24/102717 के द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 की पालना में संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाते हुए समाचार पत्र की प्रति जोन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न :- लोक सूचना की प्रति।

उपायुक्त जोन - 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
जयपुर

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर

यू0ओ0नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी- 3044
दिनांक 14/9/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102717

दिनांक: 14/09/2023

लोक सूचना

श्री YADUVENDRA KUMAR KALA पुत्र श्री CHANDA LAL KALA जाति JAIN निवासी 19 JOSHI BAGH NEAR GATTA TONK PULIYA TONK ROAD DURGAPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जेतपुरा हाज्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	YADUVENDRA KUMAR KALA	639	3300	0.33
2.	जेतपुरा हाज्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	YADUVENDRA KUMAR KALA	647	2100	0.21
3.	जेतपुरा हाज्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	YADUVENDRA KUMAR KALA	903/650	900	0.09
4.	जेतपुरा हाज्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	YADUVENDRA KUMAR KALA	638/1	2500	0.25
5.	जेतपुरा हाज्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	YADUVENDRA KUMAR KALA	648/1	400	0.04
कुल					0.92

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-09-2023 को जारी की गयी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण



Digitally Signed by Chandra Prakash Verma
Designation : DC/ AO
Date: 2023.09.14 11:44:35 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8791

दिनांक 15-9-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फ्रोंट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102896

दिनांक : 14/09/2023

लोक सूचना


मैसर्स डिफाईन्ड बिल्डर्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव व राजपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह व श्रीमती विनीता कुमार पत्नि श्री अनिल कुमार जरिये मु.आम संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव निवासी प्लॉट नं. 653-बी, लक्ष्मण पथ विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर	मैसर्स डिफाईन्ड बिल्डर्स एलएलपी व राजपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह व श्रीमती विनीता कुमार पत्नि श्री अनिल कुमार	744/691 747/692 788/684 786/676 741/357 748/381 382 819/375 825/378 743/691 746/692 821/358 820/358 822/358 826/374 827/374 816/375 828/376	0.0900 0.0400 0.0650 0.0250 0.2865 0.1050 0.1900 0.0200 0.0100 0.0300 0.0200 0.0162 0.3613 0.0625 0.4053 0.0447 0.0200 0.0100
			कुल किता 18	1.8015

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	जतन देवी, मोहन लाल एवं धर्म सिंह	छोटूराम चौधरी	15 & 03	972.03	मित्र ग.नि.स.स. लि.	सुमेर नगर प्रथम	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, इत्यादि।
2	सरिता शर्मा	स्वयं	26	238.63	मीनावाला ग.नि. स.स.लि.	श्रीराम कॉलोनी	लीजडीड	गुमशुदगी रिपोर्ट, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान, इत्यादि की फोटो प्रति।

उपप्रयुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 1936
दिनांक 15-9-2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V:N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2300

दिनांक 15/09/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट एवं 160 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क एवं व्यावसायिक भू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम गणेशपुरा तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 155/2, 316, 320, 321, 323, 324, 338, 344, 345, 346, 348 कुल कित्ता 11 में से 48570.93 वर्ग मी. भूमि के खातेदार इन्द्र सिंह एवं गोपाल सिंह पुत्रान श्री चन्द्र सिंह द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3054

दिनांक:- 15/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 60 मीटर सेक्टर सड़क (जो टोंक रोड़ से शिकारपुरा रोड़ को जोड़ने वाली रेलवे लाईन के समानान्तरण 200 फीट सेक्टर रोड़ तक) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 937 रकबा 0.4400 हैक्टेयर में से 2118.73 वर्गमी० के खातेदार कन्हैयालाल, रामेश्वर पुत्रान् नारायण एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र सूजीलाल द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

15/9/23
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 898

दिनांक:- 15/9/23

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री यशवर्धन सिंह पुत्र श्री हरी सिंह मीणा	श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री चिरंजी लाल	1	489.4	बुनियादी विकास	शीला विहार-ए	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

- 59 -
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
उपायुक्त एवं निष्पक्ष अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

+

**प्राधिकृत अधिकारी जोन-4
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

समकालीन जोन 4, 2023 सी

दिनांक

लोक सूचना


इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 258, 259, 266/387, 267, 265, 266 गैर खातेदार एवं खसरा नं. 309, 310, 311 खातेदार में गैर कृषिक प्रयोजन के लिये हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

खातेदारों/उत्तराधिकारीयों का विवरण	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
कौशल्या पुत्री नानगराम हिस्सा 1/16 गोपाल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/16 दामोदर पुत्र नानगराम हिस्सा 1/16 प्रभाती देवी पुत्री नानगराम हिस्सा 1/16 मृतक, प्रेमचन्द पुत्र नानगराम हिस्सा 1/16 भूश्रीदेवी पति नानगराम हिस्सा 1/16 मृतक मुन्नीदेवी पुत्री नानगराम हिस्सा 1/16 रामप्याशी पुत्री नानगराम हिस्सा 1/16 जाति माली सा. देह गैर खातेदार	झालाना चौड़	258, 259 गैर खातेदार	0.65 हैक्टेयर में से आंशिक 1722.50 वर्ग मीटर
दुल्ली पति मोहरू हिस्सा 1/3 मृतक के वारिश छगनी पति रूपनारायण हिस्सा 1/12+1/24 (1/8) प्रेमचन्द पुत्र रूपनारायण हिस्सा 1/12+1/24 (1/8) सुशीला पुत्री रूपनारायण हिस्सा 1/12+1/24 (1/8) हुन्मान पुत्र रूपनारायण हिस्सा 1/12+1/24 (1/8) कुल 1/2 हिस्सा जाति माली सा. सांगानेर गैर खातेदार	झालाना चौड़	265, 266 गैर खातेदार	0.40 हैक्टेयर में से आंशिक 354 वर्ग मीटर
लोकेश पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/12 जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/12 मृतक के वारिश, रूपनारायण पुत्र रामचन्द्र 1/12 रामवतार पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/12 शान्ति देवी पति रामचन्द्र हिस्सा 1/12 सुशीला पुत्री राम चन्द्र हिस्सा 1/12 जाति माली एवं दुली चन्द पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 वारिश 1. सीताराम पुत्र, दामोदर पुत्र, कस्तूरी देवी पत्नी, श्री गंगली पुत्री जयनारायण पुत्र है। सा. देह गैर खातेदार	झालाना चौड़	266/387, 267 गैर खातेदार	0.31 हैक्टेयर में से आंशिक 470 वर्ग मीटर
आत्माराम पुत्र सूरज हि 1/15 खेमचन्द पुत्र रामनारायण हि 1/9 देवी नारायण पुत्र सूरज हि 1/15 प्रेमचन्द पुत्र सूरज हि 1/15 बजरंगलाल पुत्र रामनारायण हि 1/9 मेजरज पुत्र सूरज हि 1/15 रामजीलाल पुत्र रामनारायण हि 1/9 हुन्मान पुत्र सूरज हि 1/15 जाति माली सा. देह खातेदार	झालाना चौड़	309, 310, 311 खातेदार	0.52 हैक्टेयर में से आंशिक 800 वर्ग मीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना गैर हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-4,
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102897

दिनांक : 15/09/2023

लोक सूचना


श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, चतरपुरा पवालिया, सांगानेर, जयपुर एवं श्री रामकिशोर चौधरी पुत्र श्री रामगोपाल उर्फ गोपाल निवासी सांगानेर, चतरपुरा, पवालिया, जयपुर ज.मु.आम आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत साझेदार रामचन्द्र यादव पुत्र श्री हरसहाय यादव पंजीकृत कार्यालय 2सी, स्वरूप कालोनी, डीसीएम अजमेर रोड, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम नांगल बडगुजरान उर्फ फगोडियावाला तहसील सांगानेर	राजाराम पुत्र रामगोपाल रामकिशोर पुत्र रामगोपाल	205	3.8600
			कुल किता 1	3.8600

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15-09-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी सी.ओ. 12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

HORTICULTURE WING
 SH. KANHAJIYA SHARMA, Sr. Hon.
 SH. L.N. MITTAL, SE-G
 SH. SANJAY VYAS X.En. - Garden
 SH. HEMENDRA X.En. - Garden
 SH. RAJESH SAXE
 SH. DEEP

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102896

दिनांक : 14/09/2023

लोक सूचना


मेसर्स डिफाईन्ड बिल्डर्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव व राजपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह व श्रीमती विनीता कुमार पत्नि श्री अनिल कुमार जरिये मुआम संदीप यादव पुत्र श्री सुबेसिंह यादव निवासी प्लॉट नं. 653-बी, लक्ष्मण पथ विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर	मेसर्स डिफाईन्ड बिल्डर्स एलएलपी व राजपाल यादव पुत्र श्री सुबेसिंह व श्रीमती विनीता कुमार पत्नि श्री अनिल कुमार	744/691 747/692 788/684 786/676 741/357 748/381 382 819/375 825/378 743/691 746/692 821/358 820/358 822/358 826/374 827/374 816/375 828/376	0.0900 0.0400 0.0650 0.0250 0.2865 0.1050 0.1900 0.0200 0.0100 0.0300 0.0200 0.0162 0.3613 0.0625 0.4053 0.0447 0.0200 0.0100
कुल किता			18	1.8015

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-09-2023 को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
 दुरााध - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फ़ैक्स-+91-141-2574555
 e-mail:

